



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ, 1940 (श०)

संख्या- 670 राँची, शनिवार

14 जुलाई, 2018 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

21 जून, 2018

संख्या-एल०जी०-06/2018-45/लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अध्यादेश जिस पर राज्यपाल दिनांक 10 जून, 2018 को अनुमति दे चुकी है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार राजभाषा (झारखण्ड संशोधन) अध्यादेश, 2018

(झारखण्ड अध्यादेश संख्या- 06, 2018)

प्रस्तावना

झारखण्ड राज्य विधान सभा चुकी सत्र में नहीं है और झारखण्ड राज्य के राज्यपाल को समाधान हो गया है की ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण बिहार राजभाषा (संशोधन) अध्यादेश, 2018 का प्रख्यापन किया जाना आवश्यक हो गया है ।

इसलिय अब झारखण्ड राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद के 213 के खंड (1) के द्वारा प्रदात शक्तियों के अंतर्गत निम्नवत प्रख्यापित करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

(1) यह अध्यादेश "बिहार राजभाषा (झारखण्ड संशोधन) अध्यादेश, 2018 कहलायेगा |

(2) इसका विस्तार राज्य के उन क्षेत्रों में होगा तथा उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे |

2. बिहार अधिनियम-37, 1950 (यथा अंगीकृत) की धारा-3 की उपधारा-3 (क) में अन्य दिवितीय राजभाषाओं की सूची में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका को जोड़ा जाना है |

बिहार राजभाषा अधिनियम, 1950 (यथा अंगीकृत) की धारा-3 की उपधारा-3 (क) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जाएगी:-

"अन्य दिवितीय राजभाषा : राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर निर्देश देगी कि उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धारित अवधि के लिए राज्य के भाषा-भाषियों के हित में मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका भाषा निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ दिवितीय राजभाषा उर्दू, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुख (उरांव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, बंगला, उड़िया के अतिरिक्त प्रयोग की जाएगी |

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

21 जून, 2018

संख्या-एल०जी०-06/2018-46-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 सितम्बर, 2017 को अनुमत बिहार राजभाषा (झारखण्ड संशोधन) अध्यादेश, 2018 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

Bihar Rajbhasha (Amendment) Ordinance, 2018 (Jharkhand Ordinance No. 06, 2018) Preamble

Since the Legislative Assembly of State of Jharkhand State is not in session and, since the Governor or Jharkhand is satisfied that such circumstances exist, which render it necessary to take immediate action to promulgate the Jharkhand Rajbhasha (Jharkhand Amendment) Ordinance, 2018

Now, therefore, in exercise of power conferred by Clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Jharkhand is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. Short title, extent and commencement -

- (i) This Ordinance may be called Bihar Rajbhasha (Jharkhand Amendment) Ordinance, 2018
- (ii) This will be extended in those areas of the State and come into force on such date as the State Government may, by notification in the official gazette, appoint.

2. To add following Sub-section as Sub-Section-3(a) in section-3 of the Bihar Rajbhasha Act, 1950:-

Sub-Section-3(a) in section-3 of the Bihar Rajbhasha Act, 1950, (as adopted) are substituted as follow:-

"Other second official languages: From time to time the State Government shall, through publication of notification in the official gazette, direct that in the interest of local speaking persons of the State Magahi, Bhojpuri, Maithili and Angika will be adopted for a fixed period as second official languages in addition to Urdu, Santali, Bengali, Mundari, Ho, Haria, Kurukh (Oraon), Kurmali, Khoratha, Nagpuri, Panchpargania and Oriya Languages in specified areas for specified purposes.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।